ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-7* August- 2017
Innovation The Research Concept

प्राथमिक वित्त–पोषण में गैर–व्यावसायिक बैंकों की भूमिका

श्रवण कुमार सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
स्वामी विवेकानन्द पी० जी० कालेज, पुवायाँ,
शाहजहाँपुर

सारांश

प्राथमिक वित्त पोषण हेतु जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में सरकार द्वारा गैर व्यावसायिक बैंकों की स्थापना की गयी। गैर व्यावसायिक बैंकें अपनी जनपदीय शाखायें खोलकर वित्त पोषण का कार्य कर रही हैं। बैंक अपने क्षेत्र के किसानों को खाद, बीज, दवाईयाँ तथा कृषि यंत्रों के लिए अल्प कालीन ऋण देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। गैर व्यावसायिक बैंक प्रत्येक वर्श अपना कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करती हैं और फिर प्राथमिकता के आधार पर किसानों को ऋण देने का कार्य करती हैं। व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से देशी साहूकारों, महाजनों व सर्राफा व्यापारी के कारोबार में कमी आयी है।

मुख्य शब्द : वित्त, गैर–व्यावसायिक, आर्थिक, प्राथमिक ऋण।

प्रस्तावना

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अवधारणा का अभ्युदय बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने और प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद हुआ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित गतिविधियों में धीरे–धीरे विस्तार किया गया। अतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। वर्तमान में कृषि, लघु उद्योग व लघु व्यवसाय और कमजोर वर्गों के समेकित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र का नाम दिया गया है। यह सभी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ हैं। अतः इन्हें प्राथमिक क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंगों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में विभिन्न दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न अंग जैसे–कृषि, लघु उद्योग,लघु सड़क तथा जल परिवहन, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय, व्यावसायिक कार्य तथा स्वनियोजित व्यक्ति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित निकाय, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता ऋण, जैविक गैस संयंत्र, विपणन स्थल आदि को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में रखा गया।

कृषि कार्य हेतु कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त पोषण तथा फसल उगाने के लिए अल्पावधि अर्थात् फसल ऋणों के लिए इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कृषि उपज को गिरवी रखकर उन किसानों को एक लाख रुपये तक अग्रिम ऋण प्रदान किये जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की धारणा यद्यपि समय के साथ–साथ विस्तृत होती गई किन्तु बैंकिंग वित्त पोषण की दृष्टि से इसमें कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, समाज के कमजोर वर्ग आदि को सम्मिलित किया जाता है। चूँकि यह सभी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। इसलिए केन्द्रीय बैंक एवं भारत सरकार के दिशा निर्देषों पर व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक बैंक इन्हें वित्त पोषण हेतु प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अतः बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को लिया गया। वित्त पोषण ही प्राथमिकता वित्त पोषण कहलाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्राथमिक वित्त पोषण के क्षेत्र में गैर व्यावसायिक बैंकों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. प्राथमिक वित्त पोषण की अवधारणा के विकास एवं व्यवस्था को स्पष्ट करना।
2. गैर व्यावसायिक बैंकों की व्यापकता पर प्रकाश डालना।
3. गैर व्यावसायिक बैंकों का कृषकों के लिए योगदान पर प्रकाश डालना।
4. प्राथमिक वित्त पोषण के क्षेत्र में गैर व्यावसायिक बैंकों की दुर्बलताओं के समाधान हेतु सुझाव देना।

5. गैर व्यावसायिक बैंकों के सामाजिक, आर्थिक परिवेश पर प्रकाश डालना।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त पोषण

गैर व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त पोषण से पोषित किया जाता है। फसल उगाने के लिए अल्पावधि अर्थात् फसल ऋणों के लिए इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कृषि उपज को गिरवी रखकर उन किसानों को एक लाख रुपये तक का अग्रिम ऋण प्रदान किया जाता है, लेकिन षर्त यह है कि उधारकर्ता किसी एक ही बैंक से ऋण ले। मध्यावधि एवं दीर्घावधि के लिए ऋण किसानों को उनकी उत्पादन एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सीधे दिया जाता है। जैसे–

1. कृषि औजारों और मशीनों की खरीद।
2. सिंचाई सम्भावनों का विकास।
3. भूमि सुधार और भूमि विकास सम्बन्धी योजनायें।
4. कृषि फार्म के लिए भवनों और इमारतों आदि का निर्माण।
5. फसलों के संकर बीजों का उत्पादन और संसाधन।
6. भण्डार सम्बन्धी सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण

गैर व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु अप्रत्यक्ष वित्त पोषण से भी पोषित किया जाता है। इसके अन्तर्गत किसानों को किराये पर यंत्र दिये जाने वाली सेवा इकाईयों को अग्रिम जिनका प्रबन्ध व्यक्तियों, संस्थाओं तथा ऐसे संगठनों द्वारा किया जाता है –

1. उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों आदि के वितरण का वित्त पोषित कराने के लिए ऋण दिया जाता है।
2. चारा–दाना, मुर्गी आधार आदि जैसे सम्बद्ध क्रिया कलापों के लिए निवेश वस्तुओं के संवितरण के लिए वित्त पोषण हेतु पाँच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
3. प्राथमिक कृषि समितियों, कृषक सेवा समितियों, बड़े आकार वाली बहु–उद्देशीय समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाता है।
4. प्रायोजन बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गयी पुनर्वित्त सहायता राशि का 50 प्रतिशत।
5. नाबार्ड द्वारा केवल कृषि ऋण के उद्देश्यों से जारी किये गये बाण्डों में अभिदान करना।
6. कृषि मशीनों और औजारों के वितरण के लिए किराया–खरीद योजना का वित्त पोषण करना।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की वित्त व्यवस्था के स्रोत

प्राथमिकता वर्ग के विकास को सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त वित्त की प्रकृति एवं समस्या के स्वरूप के अध्ययन हेतु अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाल थे। सन 1959 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति का यह विचार था कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति में सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को देश के केन्द्रीय बैंक होने के नाते नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंक की कार्य पद्धति का मूल आधार है कि मिल–जुल कर कार्य करना। इन बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाला वित्त सहकारी साख कहलाता है। भारत में सहकारी वित्त प्रबन्ध व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम वे बैंक जो लघु एवं मध्यकालीन वित्त प्रदान करते हैं एवं द्वितीय वे जो दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं। प्राथमिक समितियाँ केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपने वित्तीय साधन प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक अपने अंशों तथा ऋण पत्रों के अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों से पूंजी प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी अथवा षीर्ष बैंक सरकार एवं रिजर्व बैंक से पूंजी एकत्रित करते हैं।

भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण सुविधायें प्रदान की जाती हैं। इनके ऋणों के मुख्य उद्देश्य को भूमि सुधार हेतु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्त प्रदान करना है। इन बैंकों की स्थापना राज्य स्तर एवं द्वितीय जिला स्तर पर राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्य करते हैं। ये भूमि को बंधक रख कर इन बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें प्रदान की जाती है। ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों की बचतों को एकत्रित करना भी इन बैंकों का कार्य है। केन्द्रीय भूमि विकास जिला स्तर पर स्थापित प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विकास सन् 1964 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के सन् 1970 के पश्चात व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार नीति में आधारभूत परिवर्तन किये गये। रिजर्व बैंक के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र गति से षाख विस्तार नीति का अनुसरण किया गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारित किये गये जिनमें कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय भी शामिल थे। यह निर्णय लिया गया, कि व्यापारिक बैंक न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से अपनी शाखाएं खोलेगें वरन् कृषि एवं ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्गों की वित्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा भी करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये न केवल कृषकों वरन् ग्रामीण कारीगरों, लघु व्यापारियों, कुटीर उद्योगों, खेतीहरों व मजदूरों आदि को वित्त सुविधायें प्रदान करते हैं। इन वर्गों को उधार शर्तों पर ऋण सुविधायें सुगमता से प्राप्त हो सकें, इस दिशा में इन बैंकों द्वारा विशेष प्रयत्न किये जाते हैं। यह गैर उत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण सुविधायें प्रदान करते हैं। परन्तु यह निश्चित किया गया कि इस प्रकार के उद्देश्य के लिए अपने कुल ऋणें का यह केवल 10 प्रतिशत ही प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक ग्रामीण बैंक अपने कार्यक्षेत्र की वित्त आवश्यकताओं के मुताबिक ऋण

के लिए ऋण सीमा निर्धारित करते हैं। ये बैंक अपने खाते स्थानीय भाषाओं में भी रख सकते हैं।

प्राथमिक वित्त पोषण में दुर्बलताओं का निराकरण

प्राथमिक वित्त पोषण में गैर व्यावसायिक बैंकों को कृषकों को फसली ऋण देकर उन्हें अपने रहन–सहन के स्तर से ऊँचा उठा सकते हैं। प्राथमिक वित्त पोषण हेतु बैंकी ऋण लेने की कार्य प्रणाली सरल और शीघ्रगामी बनायी जानी चाहिए।

1. बैंकों द्वारा ऋण वसूली पर कठोरतापूर्वक कदम उठाये जाने चाहिए।
2. बैंकों को चाहिए कि वे 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें।
3. ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों का लम्बे समय तक स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।
4. समय–समय पर अग्रणी बैंक द्वारा अन्य बैंकों का निश्पादन अंकेक्षण किया जाना चाहिए।
5. बैंकों को प्रति माह ऋण योजना के लक्ष्यों की प्रगति के सन्दर्भ में आन्तरिक निरीक्षण करना चाहिए।
6. गैर व्यावसायिक बैंकों को चाहिए कि वे लघु उद्योगों विशेषकर ग्रामीण उद्योग को वित्त पोषण करें।

निष्कर्ष

प्राथमिक वित्त पोषण हेतु 14 व्यावसायिक बैंक तथा गैर–व्यावसायिक बैंक कार्यरत हैं जो क्रियावार प्राथमिक क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराते हैं। प्राथमिक वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, सम्बद्ध क्रियाओं, लघु उद्योग क्षेत्र, कमजोर वर्ग तथा सरकारी योजनाओं हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। सामान्यतः कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत फसली ऋण, लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण तथा उद्यान आदि क्रियाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। गैर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्यम तथा लघु व्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिला वर्ग को ऋण प्रदान किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की सम्भावनाओं पर : कृष्णा स्वामी रिपोर्ट*
2. *मार्गदर्शी बैंक से सम्बन्धित मुद्दे : पुणे को प्रस्तुत प्रकाशित शोध।*
3. *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों से सम्बन्धित दिशा निर्देश : भारतीय रिर्जव बैंक*
4. *The Economic Times : New Delhi*
5. *The Banker : New Delhi*
6. *Socialist India : New Delhi*